

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद**  
**अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001**

फा.सं. 7-10(3)/2003-आर एंड ए/एचआर-III

दिनांक: 13/05/2025

**कार्यालय जापन**

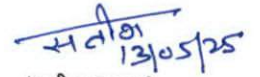
**विषय: सीएसआईआर मुख्यालय में केंद्रीय शिकायत समिति (सीजीसी) का गठन**

महानिदेशक, सीएसआईआर ने निम्नांकित संरचना वाली केंद्रीय शिकायत समिति (सीजीसी) का पुनर्गठन किया है

| क्रम सं. | नाम और पदनाम                                                                      | सीजीसी में पद                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.       | डॉ. राम ए. विश्वकर्मा, विशिष्ट वैज्ञानिक (पूर्व निदेशक, सीएसआईआर-आईआईआईएम, जम्मू) | अध्यक्ष                             |
| 2.       | डॉ. जबीर अहमद, निदेशक, सीएसआईआर-आईआईआईएम, जम्मू                                   | सदस्य                               |
| 3.       | डॉ. नरेश चंद्र मुर्मू, निदेशक, सीएसआईआर-सीएमईआरआई, दुर्गापुर                      | सदस्य                               |
| 4.       | संयुक्त सचिव ( प्रशासन), सीएसआईआर                                                 | पदेन सदस्य                          |
| 5.       | वित्त सलाहकार, सीएसआईआर                                                           | पदेन सदस्य                          |
| 6.       | डॉ. (श्रीमती) अनुराधा मधुकर, मुख्य वैज्ञानिक, आईएसटीएडी, सीएसआईआर मुख्यालय।       | सदस्य<br>(ओबीसी की संपर्क अधिकारी)  |
| 7.       | श्री प्रसाद भुक्का, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीएसआईआर-टीएमडी, सीएसआईआर मुख्यालय।         | सदस्य<br>(एससी/एसटी संपर्क अधिकारी) |
| 8.       | वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव (सीजीसी मामलों के निपटान से संबंधित)                       | सदस्य सचिव (पदेन)                   |

यदि कोई कर्मचारी स्थानीय शिकायत समिति (एलजीसी) के निर्णय से संतुष्ट नहीं है अथवा सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक की राय है कि एलजीसी की सिफारिशों के आधार पर लिए गए निर्णय के वित्तीय अथवा अन्यथा व्यापक प्रभाव होंगे, तो केंद्रीय शिकायत समिति अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी। यह समिति (सीजीसी) उन शिकायतों पर भी विचार करेगी जिन्हें सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों की प्रत्यायोजित शक्ति के अंतर्गत निवारित नहीं किया जा सकता।

इस समिति का कार्यकाल इस कार्यालय जापन के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

  
(सतीश कुमार)

उप सचिव (एच आर III)

प्रतिलिपि :

1. केंद्रीय शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य।
2. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख।
3. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर का कार्यालय
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर का कार्यालय
7. विधि सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
8. मुख्यालय/सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स/एचआरडीजी/एचआरडीसी/टीएमडी/टीकेडीएल/यूआरडीआईपी के सभी प्रभागों एवं मुख्यालय/सीएसआईआर अनुभागों के प्रमुख।
9. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी-इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय जापन को सभी संबंधितों के सूचनार्थ वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. कार्यालय प्रति